2025: CGHC: 45211-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

टैक्स केस (TAXC) संख्या 167/2023

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल सर्किल–II, ज़िला: रायपुर, छत्तीसगढ़

––––अपीलकर्ता

बनाम

अग्रवाल इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, पहली मंज़िल, वी.आर. प्लाज़ा, बिलासपुर

पैन संख्या: AAFCA6636C.

––––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से: श्री अजय कुमरानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/निर्धारिती की ओर से: श्री सिद्धार्थ दुबे, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

(Judgment on Board)

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायधिपति द्वारा

04.09.2025

1. अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमरानी और उत्तरवादी/निर्धारिती की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दुबे को सुना गया।
2. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 260A के तहत यह अपील अपीलकर्ता / असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल सर्किल–II रायपुर (छ.ग.) द्वारा दायर की गई है। यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रायपुर ('ITAT' संक्षेप में) द्वारा ITA संख्या

11/RPR/2020 में पारित दिनांक 30.03.2023 के आदेश (अनुलग्नक– A/1) से व्यथित होकर दायर की गई है, जो मूल्यांकन वर्ष 2014–15 के लिए आयकर आयुक्त (अपील)–3 भोपाल (म.प्र.) द्वारा पारित दिनांक 27.11.2019 के आदेश (अनुलग्नक– A/2) से उत्पन्न हुआ है, जो बदले में निर्धारण अधिकारी (AO) द्वारा पारित दिनांक 28.12.2018 के आदेश (अनुलग्नक– A/3) से उत्पन्न हुआ है।

3. इस अपील को दिनांक 17.04.2025 को एक समन्वय पीठ द्वारा निम्नलिखित सारभूत विधि प्रश्न पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था:

"क्या आईटीएटी द्वारा, निर्धारण अधिकारी (AO) द्वारा किए गए ₹ 6,40,50,000/– के योग को हटाकर आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को निरस्त करना उचित है, जबकि यह निष्कर्ष अभिलेख के प्रतिकूल है?"

4. उपर्युक्त सारभूत विधि प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में दिया जाना है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी / निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो व्यापार और पेशे से आय प्राप्त करती है। इस मामले में, दिनांक 08.02.2017 को उत्तरवादी/निर्धारिती के कारखाने और कार्यालय परिसरों पर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई की गई थी। परिणामस्वरूप, मूल्यांकन वर्ष (AYs) 2011–12 से 2016–17 के लिए अधिनियम की धारा 153A के तहत नोटिस दिनांक 21.02.2018 को जारी किया गया था। निर्धारिती ने जवाब में, दिनांक 30.04.2018 को मूल्यांकन वर्ष 2011–12 से 2016–17 के लिए आय विवरण दाखिल किए। मूल्यांकन वर्ष 2014–15 के लिए दाखिल किए गए आय विवरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

मूल्यांकन वर्ष (A.Y.)	धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की तिथि	कुल आय	धारा 153A के तहत रिटर्न दाखिल करने की तिथि	धारा 153A रिटर्न में घोषित कुल आय	घोषित अतिरिक्त आय
2014–15	25.11.2024	₹ 2,39,20,030/–	30.04.2018	₹ 5,07,57,060/–	₹ 2,68,37,030/–

6. निर्धारण अधिकारी (AO) ने आयकर अधिनियम की धारा 153A को धारा 143(3) के साथ पढ़कर दिनांक 28.12.2018 के निर्धारण आदेश के तहत मूल्यांकन वर्ष 2014–15 में शेल कंपनियों से फर्जी शेयर पूंजी/प्रीमियम के मद में ₹ 6,40,50,000/– का योग किया, जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया गया:

"सत्या समूह के मामले में की गई जांच ने शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की आड़ में खातों की किताबों में बिना हिसाब वाली आय को डालने का एक स्पष्ट कार्यप्रणाली सामने लाया है। तथाकथित निवेशक कंपनियां और कुछ नहीं, बल्कि शेल/कागजी संस्थाएं हैं, जो अधिकांशतः

कोलकाता में स्थित हैं, जो पैन रखने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के बावजूद, न तो कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि संचालित करती थीं और न ही उनका कोई स्वतंत्र वित्तीय मूल्य था। इन संस्थाओं को एंट्री ऑपरेटरों और पेशेवरों द्वारा कमीशन के बदले में समायोजित प्रविष्टियां प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया और नियंत्रित किया गया था। पूछताछ से पता चला कि, जो धनराशि नाममात्र रूप से शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाई गई थी, वह सत्या समूह से ही उत्पन्न हुई थी।" बैंक विवरणों का क्रम यह स्थापित करता है कि समूह संस्थाओं द्वारा जमा की गई नकद राशि या चेक को एंट्री ऑपरेटरों के कई मध्यवर्ती खातों से जुड़े लेनदेन की एक श्रृंखला के माध्यम से घुमाया गया था, और अंततः यह शेयर आवेदन राशि और प्रीमियम की आड़ में निर्धारिती समूह को वापस कर दी गई थी। सर्वेक्षण कार्रवाई और स्वतंत्र सत्यापन ने आगे पुष्टि की कि कथित निवेशक कंपनियां अपने पंजीकृत पतों पर पता लगाने योग्य नहीं थीं, उनके निदेशक केवल नामधारी थे, और उनकी बैलेंस शीट में ऐसे निवेशों को सही ठहराने के लिए कोई वास्तविक वित्तीय ताकत नहीं थी। श्री बिनोद अग्रवाल और श्री रूपेश गर्ग जैसे मुख्य व्यक्तियों के बयानों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि ये संस्थाएं सत्या समूह के नियंत्रण में थीं और इनका उपयोग केवल उनके अघोषित धन को खातों में चैनल करने के लिए किया गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती धारा 68 के तहत अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को निर्वहन करने में विफल रहा, जिसके लिए तीन आवश्यकताओं को साबित करना होता है: (i) निवेशकों की पहचान, (ii) उनकी साख और (iii) लेनदेन की वास्तविकता केवल निगमन प्रमाण पत्र पैन विवरण का प्रस्तुतिकरण, या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन पर निर्भरता, अपने आप में निवेश की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सकती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बार–बार माना गया है।यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जो स्पष्ट है वह वास्तविक नहीं है, और निर्धारण अधिकारी को लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा उठाने का अधिकार है। तलाशी, सर्वेक्षण और तलाशी के बाद की पूछताछ के दौरान एकत्र किए गए भारी साक्ष्यों के मद्देनज़र, साथ ही निर्धारिती की अपने दावे को पुष्ट करने में विफलता के साथ, यह निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि खातों में जमा की गई शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम वास्तविक निवेशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केवल समायोजित प्रविष्टियां हैं। तदनुसार, इस प्रकार जमा की गई राशि को सत्या समूह की बिना हिसाब वाली आय का प्रतिनिधित्व करने वाला अस्पष्टीकृत नकद ऋण माना जाता है, और यह आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत कर योग्य है।

7. आयकर अधिनियम की धारा 153A को धारा 143(3) के साथ पढ़कर योग करने के निर्धारण अधिकारी (AO) के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, लेकिन सीआईटी (अपील) ने दिनांक 27.11.2019 के आदेश द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील को खारिज कर दिया और निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए योग को बरकरार रखा। इस संबंध में, उन्होंने अपने आदेश के पैराग्राफ 4.2.1 से 4.2.4 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए: –

4.2.1 तथ्यों की जांच करने पर यह पाया गया कि मेसर्स आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपीलकर्ता कंपनी में इतनी विशाल शेयर पूंजी/प्रीमियम लगाने के लिए आय नहीं थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता समय–समय पर दिए गए विभिन्न अवसरों के बावजूद कंपनी का कोई भी विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। निर्धारण अधिकारी के अनुसार, मेसर्स आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वह केवल समायोजित प्रविष्टियां देने में लगी हुई है। अपीलकर्ता ने उक्त कंपनी से प्राप्त फर्जी शेयर पूंजी और प्रीमियम की आड़ में मूल्यांकन वर्ष 2013–14 में ₹ 1,55,22,000/– और मूल्यांकन वर्ष 2014–15 में ₹ 6,40,50,000/– की कुल प्राप्ति दिखाई थी। चूंकि इन संस्थाओं के साथ लेनदेन वास्तविक नहीं पाए गए, इसलिए निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत मूल्यांकन वर्ष 2013–14 में ₹ 1,55,29,716/– और मूल्यांकन वर्ष 2014–15 में ₹ 6,40,82,025/– का योग किया, जिसमें 0.05% कमीशन शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.2.2 विस्तृत फील्ड जांच के बाद निर्धारण अधिकारी ने पाया कि मेसर्स आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि, बिना किसी कर्मचारी और बिना किसी भौतिक अस्तित्व वाली एक शेल कंपनी है। श्री बिनोद कुमार अग्रवाल का शपथ पर बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 12.02.2008 तक आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे और अब यह कंपनी पूरी तरह से सत्या समूह द्वारा नियंत्रित है और समायोजित प्रविष्टियां प्रदान करने में शामिल है।

4.2.3 मैंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया है और निर्धारण आदेश का अवलोकन किया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए विवरणों/दस्तावेज़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऋणदाता की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। उसकी आय बहुत कम थी, जिससे यह स्पष्ट है कि वह कम साधनों वाली एक कागजी/शेल कंपनी थी और शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) की आड़ में लाभार्थियों को समायोजित प्रविष्टियाँ प्रदान करने में लगी हुई थी।

4.2.4 उनके द्वारा दिखाए गए लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने का दायित्व अपीलकर्ता पर था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। उपर्युक्त कंपनी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही थी और ये समायोजित प्रविष्टियां देने में लगी हुई थीं। इस संबंध में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सीआईटी बनाम नोवा प्रमोटर्स एंड फिनलीज (पी) लिमिटेड (2012) 342 ITR 169 (Del) और सीआईटी बनाम एन.आर. पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (2014) 264 CTR 258 (Del) के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है जाता है। इसके अलावा, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के राजमंदिर एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (2016) [70 Taxmann.com 124 (Cal)] के मामले में दिए गए निर्णय और आईटीएटी, 'डी' बेंच, मुंबई के शाही रिच डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आईटीए संख्या 1835/Mum/2014 दिनांक 24.8.2016 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है। पूर्वोक्त तथ्यों के मद्देनज़र, मैं इस

सुविचारित मत का हूँ कि अधिनियम की धारा 68 के तहत अपीलकर्ता पर लगाए गए दायित्व को पूरा करने के लिए केवल संबंधित कंपनियों के पते और पैन देना पर्याप्त नहीं है, जब निर्धारण अधिकारी को कम साधनों वाली और ज्ञात आय के स्रोतों वाली कंपनी की साख/क्षमता पर संदेह है कि उसने इतनी बड़ी राशि का निवेश कैसे किया। लेन–देन की वास्तविकता पर भी निर्धारण अधिकारी को संदेह था क्योंकि ऋणदाताओं के पास कोई व्यवसाय/परियोजना नहीं थी और वे केवल कम साधनों वाले व्यक्ति थे, जैसा कि अभिलेख पर लाया गया है कि ये ऋणदाता नाममात्र की आय घोषित करने वाले कम साधनों वाले व्यक्ति हैं और उनकी बैलेंस शीट/वित्तीय स्थिति के विवरण से पता चला है कि उनके पास अपीलकर्ता में निवेश के अलावा महत्वहीन संपत्ति है। अधिनियम की धारा 68 लेनदारों की पहचान और साख स्थापित करने और लेन–देन की वास्तविकता स्थापित करने के लिए धारा 68 के तत्वों को संतुष्ट करने का दायित्व अपीलकर्ता पर डालती है। एक बार जब अपीलकर्ता बुनियादी विवरण जैसे ऋणदाता का नाम और पता, पैन, आयकर रिटर्न, पुष्टि और बैंक स्टेटमेंट दाखिल करता है, तो प्रारंभिक दायित्व पूरा हो जाता है, लेकिन चूंकि निर्धारण अधिकारी ने ऊपर उद्धृत और निर्धारित कारणों के अनुसार ऋणदाता की साख और लेनदेन की वास्तविकता पर संदेह किया है, इसलिए दायित्व वापस अपीलकर्ता कंपनी पर आ जाता है कि वह अधिनियम की धारा 68 के तहत अपेक्षित निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। यह स्पष्टीकरण ऋणदाताओं को निर्धारण अधिकारी के सामने पेश करके दिया जा सकता था ताकि धुंध के पीछे की सच्चाई को निर्धारण अधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ करके उजागर किया जा सके। बोझ/दायित्व अपीलकर्ता पर है और अपीलकर्ता को सामूहिक रूप से लेनदारों की पहचान और क्षमता/साख के साथ–साथ लेनदेन की वास्तविकता के बारे में निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। सभी घटकों को सामूहिक रूप से संतुष्ट करना आवश्यक है। यदि उनमें से एक या एक से अधिक अनुपस्थित हैं, तो निर्धारण अधिकारी धारा 68 के तहत आय के रूप में योग कर सकता है। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 68 के तहत आवश्यक दायित्व बहुत भारी है, ताकि ऋणदाताओं की पहचान और क्षमता और लेनदेन की वास्तविकता साबित हो सके। पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनज़र, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि केवल ऋणदाता का नाम और पता, आयकर रिटर्न, ऋणदाता की बैलेंस शीट/वित्तीय स्थिति का विवरण और बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना किए गए लेनदेन की वास्तविकता के लिए पर्याप्त नहीं है। कथित ऋणदाता अस्तित्व में नहीं पाया गया और इस प्रकार, दायित्व वापस अपीलकर्ता पर आ जाता है कि वह ऋणदाताओं को निर्धारण अधिकारी के सामने पेश करे और यदि अपीलकर्ता चूक करता है, तो धारा 68 के तहत योग किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 68 को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 01–04–2013 से संशोधित किया गया है, जिसके तहत ऋण के स्रोत को सही ठहराने के लिए, ऋण जुटाने के स्रोत के स्रोत की व्याख्या करने का दायित्व अपीलकर्ता पर डाला गया है, जिसे स्पष्टीकरण प्रकृति का माना गया है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कथित ऋणदाता की पहचान और साख तथा लेनदार की वास्तविकता को साबित नहीं कर सका। एक कंपनी होने के नाते, यह व्यवहार्य, उचित और अपीलकर्ता का कर्तव्य था कि वह लेनदेन की वास्तविकता साबित करे, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ता इसे साबित नहीं कर सका। ऋणदाता की आय नाममात्र की थी। विचाराधीन अवधि के लिए इस कंपनी की आय बहुत कम है और इसलिए उनकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साख भी स्थापित नहीं होती है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम राठी फिनलीज लिमिटेड के मामले में यह फैसला सुनाया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीआईटी बनाम स्टेलर इन्वेस्टमेंट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लवली एक्सपोर्ट लिमिटेड के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विचार करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि शेयर आवेदन/शेयर पूंजी के योगदान के मामले में धारा 68 के प्रावधानों को लागू करने वाले शेयर आवेदन धन के प्रत्येक और हर लेन–देन को और क्या निर्धारिती पर यह दायित्व पूरा किया गया है या नहीं, इसे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की समग्रता और मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

8. निर्धारण अधिकारी (AO) द्वारा किए गए योग को बरकरार रखने वाले आयकर आयुक्त (अपील) (CIT (Appeals)) के आदेश की वैधता, औचित्य और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए, निर्धारिती ने माननीय आईटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की, और माननीय आईटीएटी ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील को अनुमति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील दायर की गई

9. अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमरानी ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि आईटीएटी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए और सीआईटी(ए) द्वारा पुष्टि किए गए योगों को हटाने में कानून और तथ्यों पर घोर त्रुटि की है। आईटीएटी ने केवल निर्धारिती द्वारा दायर दस्तावेजों जैसे निगमन प्रमाण पत्र, पैन, आईटीआर, अंकेक्षित खाते और वीएसवीएस अनुपालन के आधार पर आगे बढ़ा, इस बात की सराहना किए बिना कि ऐसे कागजात अकेले में लेनदेन की वास्तविकता या निवेशक कंपनी की साख को स्थापित नहीं करते हैं। निर्धारण अधिकारी ने धारा 153A को धारा 143(3) के साथ पढ़कर की गई कार्यवाही के दौरान, विस्तृत और स्वतंत्र जांच की थी, जिसमें बैंक विवरणों का विश्लेषण, फील्ड सत्यापन, सर्वेक्षण कार्रवाई और श्री बिनोद अग्रवाल और श्री रूपेश गर्ग जैसे प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज करना शामिल था। इन जांचों से पता चला कि कथित निवेशक, मेसर्स आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोई वास्तविक व्यवसाय, कोई बुनियादी ढांचा, कोई कर्मचारी और केवल नाममात्र की आय वाली एक कागजी/शेल कंपनी के अलावा और कुछ नहीं थी, जो किसी भी तरह से करोड़ों रुपये की शेयर पूंजी की सदस्यता लेने या ऋण देने को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती थी। उन्होंने आगे अभ्यावेदन किया कि निर्धारण अधिकारी ने संपूर्ण धन का पता अभिलेख पर लाया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे धन पहले सत्या समूह के भीतर उत्पन्न हुआ, समायोजित प्रविष्टि ऑपरेटरों से जुड़े विभिन्न प्रकार के अंतरण लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से घुमाया गया, और फिर शेयर पूंजी और प्रीमियम की आड़ में निर्धारिती के खातों में फिर से डाला गया। तथ्य यह है कि निवेशक कंपनियाँ अपने पंजीकृत पतों पर पता लगाने योग्य नहीं थीं, उनके निदेशक केवल नामधारी थे, और यह कि निवेशक ने स्वयं सत्या समूह द्वारा नियंत्रित होने की बात स्वीकार की, यह आगे प्रदर्शित करता है कि ये लेनदेन केवल बिना हिसाब वाली आय को वैध बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए दिखावटी उपकरण थे। उन्होंने यह भी अभ्यावेदन किया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि धारा 68 के तहत, निर्धारिती पर सामूहिक रूप से (i) लेनदार की पहचान, (ii) लेनदार की साख, और (iii) लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने का एक भारी दायित्व है। केवल कागजात दाखिल करना या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन को मार्गस्थ करना स्वयंमेव इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बोझ को निर्वहन नहीं करता है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PCIT (Central)–1 बनाम NRA Iron & Steel (P.) Ltd. (2019) 103 taxmann.com 48 (SC) में पारित निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें स्पष्ट रूप से माना गया है कि यदि निवेशक कंपनियों के पास कोई वास्तविक वित्तीय क्षमता नहीं है, नगण्य आय है और कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने धारा 68 के तहत अपना बोझ निर्वहन किया है, और योग न्यायसंगत हैं। एनआरए आयरन एंड स्टील (पूर्वोक्त) का सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है जहां निवेशक की आय नगण्य थी, कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था, और वह केवल समायोजित प्रविष्टियां प्रदान करने में लगा हुआ था। हालांकि, आईटीएटी ने निर्धारण अधिकारी और सीआईटी(ए) द्वारा उजागर किए गए अभियोगी सामग्री के इस धन को खारिज कर दिया, और वीएसवीएस घोषणाओं जैसे सतही अनुपालन दस्तावेजों पर अनुचित रूप से भरोसा किया, स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करते हुए कि समायोजित प्रविष्टि ऑपरेटर भी रिटर्न दाखिल करते हैं और पैन प्राप्त करते हैं, जो अपने आप में वास्तविकता साबित नहीं कर सकता। वीएसवीएस योजना, जो एक समझौता तंत्र है, धारा 68 की उस आवश्यकता को अधिभावी नहीं कर सकती कि निर्धारिती को अपनी किताबों में लेनदेन की साख और वास्तविकता स्थापित करनी होगी। वित्त अधिनियम, 2012 के बाद संशोधित धारा 68 द्वारा अनिवार्य "स्रोत के स्रोत" की जांच करने में विफल रहने के कारण, निर्धारिती का स्पष्टीकरण पूरी तरह से असंतोषजनक रहा। पूर्वोक्त के मद्देनज़र, यह अभ्यावेदन किया जाता है कि आईटीएटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी मिसालों के साथ असंगत हैं। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए और सीआईटी(ए) द्वारा कायम रखे गए योग पूरी तरह से न्यायसंगत थे, और आईटीएटी का आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. उत्तरवादी/निर्धारिती की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दुबे ने आईटीएटी के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह अभ्यावेदन किया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 68 के तहत अपना वैधानिक बोझ विधिवत निर्वहन किया है, जिसमें निवेशक की पहचान साबित करना, आईटीआर, आय की गणना, अंकेक्षित खाते, बैंक विवरण, निर्धारण आदेश, साथ ही वीएसवीएस के तहत अनुपालन प्रस्तुत करना शामिल है, जिसके तहत निवेशक ने पहले ही घोषित आय पर देय करों का भुगतान कर दिया है। उन्होंने आगे अभ्यावेदन किया कि धन शुरू में ब्याज सहित असुरक्षित ऋण के रूप में अग्रिम किया गया था, जिस पर टीडीएस विधिवत काटा गया था और ब्याज का भुगतान किया गया था, और बाद में मूल्यांकन वर्ष 2015–16 में ही इसे शेयर पूंजी में परिवर्तित किया गया था, जिससे लेनदेन की वास्तविकता पुष्ट होती है। उन्होंने यह भी अभ्यावेदन किया कि यह स्थापित कानून है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम लवली एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (2008) 216 CTR 195 (SC) में निर्धारित किया है, कि एक बार निवेशक की पहचान स्थापित हो जाने पर, विभाग कानून के अनुसार ऐसे निवेशक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसी को निर्धारिती के हाथों में कर योग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पीसीआईटी बनाम सूर्या एग्रोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2023 SCC OnLine Del 5530 का अवलंब लिया है जाता है, जिसमें यह माना गया था कि एक बार जब निर्धारिती सभी प्राथमिक दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है और निवेशक कर का

आकलन कराता है, तो आगे की जांच करने का दायित्व राजस्व पर आ जाता है। वर्तमान मामले में, चूंकि निर्धारिती ने वीएसवीएस अनुपालन सहित भारी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और राजस्व ऐसे सामग्री को खंडन करने में विफल रहा है, इसलिए आईटीएटी ने सही ढंग से योगों को हटा दिया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी अभ्यावेदनों पर विचार किया और अत्यधिक सावधानी के साथ अभिलेख की भी जाँच की।

11. वर्तमान अपील में विचार के लिए आने वाला विवाद अधिनियम की धारा 68 के वास्तविक दायरे और अस्पष्टीकृत शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम को अपनी खातों की किताबों में जमा करने पर निर्धारिती पर पड़ने वाले दायित्व की सीमा के आसपास घूमता है। इस संबंध में कानून काफी हद तक स्थापित है कि निर्धारिती को संतोषजनक ढंग से तीन संचयी तत्वों को स्थापित करना होगा: (i) लेनदार/निवेशक की पहचान; (ii) ऐसे निवेशक की क्षमता या साख; और (iii) लेनदेन की वास्तविकता। यदि इनमें से कोई भी तत्व सिद्ध नहीं होता है, तो निर्धारण अधिकारी धारा 68 को लागू करने के लिए न्यायसंगत है ताकि जमा की गई राशि को अस्पष्टीकृत नकद जमा माना जा सके।

12. यह भी समान रूप से स्थापित है कि सबूत का प्रारंभिक बोझ हमेशा निर्धारिती पर होता है। यह बोझ केवल निगमन प्रमाण पत्र, पैन संख्या, आयकर रिटर्न के प्रस्तुतिकरण से, या यह दिखाने से कि लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मार्गस्थ किए गए थे, निर्वहन नहीं होता है। ये दस्तावेज़, हालांकि प्रासंगिक हैं, लेकिन जब आसपास की परिस्थितियाँ अन्यथा संकेत देती हैं तो ये निर्णायक नहीं होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. एनआरए आयरन एंड स्टील (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि जब निवेशक कंपनियों की आय नगण्य होती है, कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता है, और कोई वास्तविक वित्तीय क्षमता नहीं होती है, तो केवल दस्तावेजों या बैंकिंग अभिलेख का प्रस्तुतिकरण लेनदेन की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सकता है। जो स्पष्ट है वह वास्तविक नहीं है, और निर्धारण अधिकारी ऐसे लेनदेनों के सच्चे चरित्र को उजागर करने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा उठाने का हकदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8.2, 8.3 में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया है, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है: –

> "8.2 स्थापित कानून के अनुसार, अधिनियम की धारा 68 के तहत लेनदेन की वास्तविकता और निवेशकों की साख को ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित करने का प्रारंभिक दायित्व निर्धारिती पर है।
>
> निर्धारिती से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित स्थापित करे (सीआईटी बनाम प्रेसिजन फाइनेंस (पी.) लिमिटेड [1995] 82 Taxman 31/[1994] 208 ITR 465 (Cal.)):
>
> - लेनदारों की पहचान का प्रमाण;
> - पैसा अग्रिम करने के लिए लेनदारों की क्षमता; और

- लेनदेन की वास्तविकता

  इस न्यायालय ने काले खान मोहम्मद हनीफ बनाम सीआईटी [1963] 50 ITR 1 (SC) और रोशन दी हट्टी बनाम सीआईटी [1977] 107 ITR 938 (SC) के ऐतिहासिक मामले में यह निर्धारित किया कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त पाई गई राशि के स्रोत को साबित करने का दायित्व निर्धारिती पर है। एक बार जब निर्धारिती ने पहचान, लेनदेन की वास्तविकता और साख से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, तो निर्धारण अधिकारी को धारा 68 को लागू करने से पहले एक जांच करनी चाहिए, और अधिक विवरण मांगना चाहिए। यदि निर्धारिती किए गए निवेशों की प्रकृति और स्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो यह राजस्व के लिए खुला है कि वह इसे निर्धारिती की आय माने, और राजस्व पर यह दिखाने का कोई और बोझ नहीं होगा कि आय किसी विशेष स्रोत से है।

8.3 लेनदेन की वास्तविकता के मुद्दे के संबंध में, यह निर्धारिती पर है कि वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित करे कि शेयर पूंजी में किए गए निवेश वास्तविक उधार हैं, क्योंकि तथ्य विशेष रूप से निर्धारिती के ज्ञान के भीतर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम ओएसिस हॉस्पिटैलिटीज (पी.) लिमिटेड [2011] 9 taxmann.com 179/198 Taxman 247/333 ITR 119 में यह माना था कि:

"धारा 68 की शरारत को दूर करने के लिए तीन चीजों को स्थापित करने का प्रारंभिक दायित्व निर्धारिती पर है। वे हैं: (i) निवेशकों की पहचान; (ii) उनकी साख/निवेश; और (iii) लेनदेन की वास्तविकता। जब ये तीनों तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाते हैं, तभी विभाग को आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।"

14. वर्तमान मामले में, निर्धारण अधिकारी (AO) ने गहन अभ्यास किया। विस्तृत फील्ड जांच और सर्वेक्षण कार्रवाई की गई। श्री बिनोद अग्रवाल जैसे प्रमुख व्यक्तियों के बयानों से यह पता चला कि तथाकथित निवेशक कंपनी, मेसर्स आर्टलाइन फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पूरी तरह से सत्या समूह द्वारा ही नियंत्रित थी और इसे केवल समायोजित प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए एक माध्यम (conduit) के रूप में उपयोग किया जाता था।1 इस संस्था की कोई व्यावसायिक गतिविधि, कोई बुनियादी ढांचा, कोई कर्मचारी नहीं था, और यह अपने पंजीकृत पते पर भी पता लगाने योग्य नहीं थी।2 इसके वित्तीय विवरणों से नाममात्र की आय का पता चला, जो किसी भी तरह से निर्धारिती कंपनी में करोड़ों रुपये के निवेश को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. निर्धारण अधिकारी द्वारा उजागर किए गए धन के अंतरण ने आगे प्रदर्शित किया कि धन की उत्पत्ति स्वयं सत्या समूह के खजाने से हुई थी, इसे विभिन्न प्रकार के अंतरण के जाल और एंट्री ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित कई खातों के माध्यम से घुमाया गया था, और अंततः शेयर आवेदन राशि और प्रीमियम की आड़ में निर्धारिती के खातों में फिर से डाला गया था। यह तथ्यात्मक निष्कर्ष न केवल बैंकिंग अभिलेख द्वारा बल्कि कार्यप्रणाली से सीधे जुड़े व्यक्तियों के बयानों द्वारा भी समर्थित है। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी का निष्कर्ष अटकलों पर नहीं, बल्कि मूर्त, ठोस और स्वतंत्र साक्ष्य पर आधारित था।

16. सीआईटी(ए) ने सामग्री के विस्तृत मूल्यांकन पर, सही ढंग से योग को बरकरार रखा। सीआईटी(ए) ने बाध्यकारी न्यायिक मिसालों का उल्लेख किया, जिनमें सीआईटी बनाम नोवा प्रमोटर्स एंड फिनलीज (पी) लिमिटेड (2012) 342 ITR 169 (Del), सीआईटी बनाम एन.आर. पोर्टफोलियो (पी) लिमिटेड (2014) 264 CTR 258 (Del), और राजमंदिर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पीआर. सीआईटी (2016) 70 taxmann.com 124 (Cal) शामिल हैं, जिनमें लगातार यह माना गया है कि जब निवेशक कंपनियों को बिना किसी वास्तविक मूल्य वाली शेल संस्थाएं पाया जाता है, और निर्धारिती उन्हें जांच के लिए पेश करने या स्रोत के स्रोत की व्याख्या करने में विफल रहता है, तो अधिनियम की धारा 68 के तहत योग न्यायसंगत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. हालाँकि, आईटीएटी ने निर्धारण अधिकारी और सीआईटी(ए) के सुविचारित आदेशों को पलटते हुए, औपचारिक अनुपालन दस्तावेजों जैसे निगमन प्रमाण पत्र, पैन विवरण, आईटीआर, और विशेष रूप से इस तथ्य पर अनुचित रूप से भरोसा किया कि निवेशक ने "विवाद से विश्वास योजना" (VSVS) के तहत कर विवादों का निपटारा कर लिया था। हमारे विचार से, आईटीएटी का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर (unsustainable) है। यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि समायोजित प्रविष्टि ऑपरेटर भी नियमित रूप से पैन प्राप्त करते हैं, आईटीआर दाखिल करते हैं, और बैंक खाते बनाए रखते हैं, जिनका उपयोग ठीक उन्हीं फर्जी लेनदेनों (sham transactions) को वैधता का मुखौटा (facade of legitimacy) देने के लिए किया जाता है। ऐसा सतही अनुपालन अपने आप में साख या वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर सकता है।

18. उत्तरवादी/निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लवली एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (Lovely Exports (P) Ltd.) (पूर्वोक्त) पर दिया गया भरोसा गलत है। उस निर्णय को यह समझने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता कि एक बार पहचान दिखाए जाने के बाद जांच समाप्त हो जाती है। बाद के निर्णयों, विशेष रूप से एनआरए आयरन एंड स्टील (NRA Iron & Steel) (पूर्वोक्त) में, यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारिती को न केवल पहचान, बल्कि क्षमता और वास्तविकता को भी साबित करना होगा। वर्तमान मामले में, निवेशक की क्षमता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, क्योंकि उसकी आय नगण्य थी और उसकी कोई स्वतंत्र वित्तीय ताकत नहीं थी। इसी तरह, वास्तविकता असिद्ध होती है क्योंकि धन के निशान से निर्धारिती के अपने बेहिसाबी धन के परिसंचरण का सकारात्मक साक्ष्य मिलता है।

19. इसी प्रकार, सूर्या एग्रोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Surya Agrotech Infrastructure Ltd.) (पूर्वोक्त) पर दिया गया भरोसा भी निर्धारिती की सहायता नहीं करता है। उस मामले में, निर्धारिती द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद राजस्व आगे की जांच करने में विफल रहा था। इसके विपरीत, यहाँ राजस्व ने विस्तृत और व्यापक जांच की है और निवेशक कंपनी की फर्जी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री को उजागर किया है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रतिद्वंद्वी अभ्यावेदनों, अभिलेख पर लाई गई सामग्री और उपर्युक्त न्यायिक मिसालों के आलोक में विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत उस पर डाले गए भारी बोझ को निर्वहन करने में विफल रहा है। निर्धारण अधिकारी और सीआईटी(ए) शेयर पूंजी और प्रीमियम को अस्पष्टीकृत नकद जमा मानने में न्यायसंगत थे। आईटीएटी, इस अखंडनीय साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए और केवल सतही दस्तावेजों के आधार पर योग को हटाकर, न केवल अभिलेख के विपरीत, बल्कि कानून में भी विकृत निष्कर्ष दर्ज किया है।

21. पूर्वोक्त कारणों से, हम सारभूत विधि प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध देते हैं, यह मानते हुए कि आईटीएटी सीआईटी(ए) के आदेश को निरस्त करने में न्यायसंगत नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. आईटीएटी द्वारा आईटीए संख्या 11/RPR/2020 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2023 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है, और निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए ₹ 6,40,50,000/- के योग की पुष्टि करने वाला सीआईटी(ए) का आदेश दिनांक 27.11.2019 बहाल किया जाता है।

23. अपील स्वीकार की जाती है।

सही/- (बिभू दत्त गुरु) न्यायाधीश	सही/- (रमेश सिन्हा) मुख्य न्यायधिपति

शीर्ष -नोट

यदि निर्धारिती किए गए निवेशों की प्रकृति और स्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो यह राजस्व स्वतंत्र है कि वह इसे निर्धारिती की आय माने और राजस्व पर प्रमाण का यह भार नहीं होगा कि आय किसी विशेष स्रोत से है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur